

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	ज्येष्ठ 12, मंगलवार, शाके 1948- जून 02, 2026 Jyaistha 12, Tuesday, Saka 1948- June 02, 2026	

भाग 1 (क)

नियुक्तियों, छुट्टियों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियों।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

कार्यालय आदेश

जयपुर, मई 25, 2026

संख्या एफ-7(35)रालसा/संस्था-पी.एल.ए. सदस्य विविध/2026/359:- राजस्थान सरकार, विधि (ग्रुप-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के आदेश संख्या प.8(7)विधि-2/विरसं.(39)/2002 पार्ट।।।/- 52508 दिनांक 21.05.2026 द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22(बी) के अंतर्गत जिला न्यायक्षेत्र मुख्यालय में संस्थापित जनोपयोगी सेवाओं की स्थायी लोक अदालत में नियुक्त सदस्यों का उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 08 में अंकित तिथि अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, जो भी पूर्व हो, तक के लिए मनोनयन की अवधि इस संबंध में प्रभावी नियमों के अन्वये बढ़ाई जाती है:-

क्र. सं.	स्थायी लोक अदालत	स्थायी लोक अदालत में नियुक्त सदस्य का नाम (सर्व श्री/श्रीमती/ डॉ./सुश्री)	जन्म तिथि	नियुक्ति आदेश संख्या/दिनांक	कार्यग्रहण तिथि	दिनांक जब तक कार्यविस्तार है	विस्तारित कार्यकाल की अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अलवर	अमित पंचौली	05.12.1980	310/19.05.2025	26.05.2025	25.05.2026	25.05.2027
2.	भरतपुर	रजनीकांत शर्मा	20.01.1963	310/19.05.2025	27.05.2025	26.05.2026	26.05.2027
3.	बूंदी	रीना माथुर	06.04.1976	310/19.05.2025	04.06.2025	03.06.2026	03.06.2027
4.	चित्तौड़गढ़	प्रदीप काबरा	26.09.1974	310/19.05.2025	26.05.2025	25.05.2026	25.05.2027
5.	जयपुर महानगर प्रथम	बलदेवराज बेनीवाल	16.05.1963	310/19.05.2025	28.05.2025	27.05.2026	27.05.2027
6.	झुंझुनू	लाल चंद रैगर	10.08.1977	310/19.05.2025	28.05.2025	27.05.2026	27.05.2027
7.	मेड़ता सिटी	बलवीर खुड़खुड़िया	01.01.1976	310/19.05.2025	04.06.2025	03.06.2026	03.06.2027

उपरोक्त सदस्य, स्थायी लोक अदालतों को फीस व अन्य सुविधायें The Permanent Lok Adalat (Other Terms and Conditions of Appointment of Chairman and other persons) Rules, 2003 तथा इस पद के लिए समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश/स्वीकृतियों के अनुरूप देय होंगी।

आज्ञा से,

हरि ओम अत्री,

सदस्य सचिव,

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।